

अनुसूची 21-फारम सं०-113

उपरोक्त राशि धूम 2008 मोटोर्स प्र. लि. के मालिक (प्र)

प्रमाण-पत्र संख्या

20

आवेदन सं०

20

चूंकि श्री

Rajesh Kumar (Prime Engicons Pvt. Ltd.)

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नोक्त संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवधारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
(आवेदन में दिये गये तथ्यों के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में वही है और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों के साथ 20 06 2010 till date तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चलता है अतः

क्र०सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza		Khajepura					
	Khalax		331					
	Plot No.		593					
	Ward No.		02					
	P.S.		Hawai Adda					
	P.S. No.		11					
	Area		05 Katha		06 Dhun			
	Tauzmo		5655					

(7213 Satt.)

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
 2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशति की उनके बारे में चलेख हो।
 3. पट्टे की दिशा से पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
- यै यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का स्थापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय:

तारीख:

Palna

28/4/18

मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्बंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (राहगो) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियों देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वेहियाँ और अनुक्रमणियों उनके पास साने रखी जायेगी।

किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूंकि उसके बाद दूरे गये संव्यवहारों और अवधारों को स्थापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूरे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक:

जाप संख्या:

आवेदक श्री

का रूपभार प्रमाण-पत्र द्वारा

दिनांक: 28/4/18

Rajesh Kumar

Manager,

Axis Bank Ltd, SME Centre

Palna

का उनके पत्र संख्या

दिनांक

के प्रसंग में अप्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Palna